क्रम-संख्या 95 (क-1)

रजिस्टर्ड नं0 एल0 डब्ल्यू/एन0पी0 561
लाइसेन्स नं0 डब्ल्यू0 पी0-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 9 मई, 2019 ई0

(वैशाख 19, 1941 शक संवत्)

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि0नि0) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

संख्या यूपीईआरसी/सचिव/विनियमावली/2019/111-ए

लखनऊ, दिनांक : 09 मई, 2019 ई0

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 42 की उपधारा (5) से (8) तक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों के प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 का गठन किया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी/सचिव/विनियमावली/07/1259 द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर, 2007 को प्रकाशित किया था।

और यह कि उक्त विनियमावली के कुछ प्राविधानों के लागू होने में अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता और सामान्य जन को कठिनाई हो रही है और उनके द्वारा कतिपय संशोधनों का अनुरोध किया गया है।

और यह कि उक्त के परिणामस्वरूप तथा अन्य सारवान् कारणों से उक्त नियमावली के कुछ प्राविधानों में संशोधन आवश्यक हो गया है।

अतः एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 42 की उपधारा (5) से (8) तक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों के प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :

उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली (प्रथम संशोधन), 2019

1.0–संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ और निर्वचन–

1.1–ये विनियमावली उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली (प्रथम संशोधन), 2019 कही जायेगी।

1.2–इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगा और ये राज्य में विद्युत के वितरण और आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होंगे।

1.3–ये विनियम नियत तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1.4–इन विनियमावली को उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 के संसुगत प्राविधानों के साथ उस सीमा तक पढ़ी जायेगी, जिस तक ये विद्युत अधिनियम, 2003 के प्राविधानों से असंगत नहीं है।

1.5–उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 इन विनियमों के निर्वचन में लागू होगा।

1.6–इन विनियमों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच विरोध के मामले में अंग्रेजी संस्करण अभिभावी होगा।

2.0–उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 के निम्न वर्तमान प्राविधान उनके सामने के कालम में उल्लिखित प्राविधानों से प्रतिस्थापित हो जायेंगे–

वर्तमान विनियम 3.1 (i)	**संशोधित विनियम 3.1 (i)**
प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियत तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित स्थानों पर विनियम के अनुसार संक्रियात्मक फोरम को स्थापित करेगा और प्रचालित करेगा :	प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियत तारीख से तीन मास के भीतर निम्नलिखित स्थानों पर विनियम के अनुसार संक्रियात्मक फोरम को स्थापित करेगा और प्रचालित करेगा :
(1) आगरा डिस्काम : कानपुर, आगरा, झांसी और चित्रकूट	(1) आगरा डिस्काम : कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट
(2) मेरठ डिस्काम : मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर	(2) मेरठ डिस्काम : मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर
(3) लखनऊ डिस्काम : लखनऊ, बरेली, फैजाबाद और देवीपाटन (गोण्डा)	(3) लखनऊ डिस्काम : लखनऊ, बरेली, फैजाबाद और देवीपाटन (गोण्डा)
(4) वाराणसी डिस्काम : वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, मीरजापुर और बस्ती	(4) वाराणसी डिस्काम : वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, मीरजापुर और बस्ती
(5) केस्को : कानपुर	(5) केस्को : कानपुर
(6) एन0पी0सी0एल0 : ग्रेटर नोयडा :	(6) एन0पी0सी0एल0 : ग्रेटर नोयडा :
परन्तु क्षेत्र में एक से अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में प्रत्येक पश्चातवर्ती वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये फोरम का स्थान आपूर्ति का क्षेत्र होगा।	परन्तु क्षेत्र में एक से अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मामले में प्रत्येक पश्चातवर्ती वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिये फोरम का स्थान आपूर्ति का क्षेत्र होगा। परन्तु यह भी कि आयोग द्वारा इस अनुज्ञप्तिधारी को किसी विद्यमान फोरम के अधिकारिता क्षेत्र में परिवर्तन अथवा नये फोरम के गठन के लिये निर्देश दिया जा सकेगा।

वर्तमान विनियम 3.2 (ii)

न्यायिक सदस्य ऐसा न्यायिक अधिकारी होगा, जो अपर जिलाधीश की श्रेणी से अन्यून पद धारित किया था और जिसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो और तीन वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

संशोधित विनियम 3.2 (ii)

न्यायिक सदस्य ऐसा न्यायिक अधिकारी होगा, जो अपर जिलाधीश की श्रेणी से अन्यून पद धारित किया था और जिसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो और तीन वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

परन्तु आयोग द्वारा उसे द्वितीय अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति किये जाने पर इस शर्त के साथ विचार किया जा सकेगा कि पदधारण किये जाने की अधिकतम आयु 65 वर्ष ही रहेगी।

वर्तमान विनियम 3.2 (iii) (ङ)

तीन वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, फोरम का पद धारण करेगा।

संशोधित विनियम 3.2 (iii) (ङ)

तीन वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, फोरम का पद धारण करेगा।

परन्तु आयोग द्वारा उसे द्वितीय अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति किये जाने पर इस शर्त के साथ विचार किया जा सकेगा कि पदधारण किये जाने की अधिकतम आयु 65 वर्ष ही रहेगी।

वर्तमान विनियम 3.9

वितरण अनुज्ञप्तिधारी फोरम के पूर्णकालिक सचिव के रूप में एक अभियन्ता अधिकारी की नियुक्ति करेगा/पदाभिहीत करेगा, जो फोरम के गठन की तारीख पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करेगा और अध्यक्ष के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

संशोधित विनियम 3.9

वितरण अनुज्ञप्तिधारी फोरम के पूर्णकालिक सचिव के रूप में एक अभियन्ता अधिकारी की नियुक्ति करेगा/पदाभिहीत करेगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

वर्तमान विनियम 3.11 (i)

अध्यक्ष प्रतिमाह रु0 25,000.00 के समेकित वेतन या ऐसे वेतन का हकदार होगा, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जाय।

संशोधित विनियम 3.11 (i)

अध्यक्ष प्रतिमाह रु0 55,000.00 के समेकित वेतन या ऐसे वेतन का हकदार होगा, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जाय।

वर्तमान विनियम 3.11 (ii)

तकनीकी सदस्य प्रतिमाह रु0 20,000.00 के समेकित वेतन या ऐसे वेतन का हकदार होगा, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जाय।

संशोधित विनियम 3.11 (ii)

तकनीकी सदस्य प्रतिमाह रु0 45,000.00 के समेकित वेतन या ऐसे वेतन का हकदार होगा, जैसा कि समय-समय पर आयोग द्वारा पुनरीक्षित किया जाय।

वर्तमान विनियम 3.12

फोरम के दक्ष कार्य करने के लिये अपेक्षित कार्यालय को स्थापित करने के लिये वेतन, भत्ता, सचिवालयी समर्थन, कार्यालय स्थल और अधिसंरचना सुविधायें और अन्य सुविधायें सम्बद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जायेंगी और इस प्रकार अन्तर्निहित व्यय टैरिफ में स्वीकार किया जायेगा।

संशोधित विनियम 3.12

फोरम के दक्ष कार्य हेतु अपेक्षित कार्यालय को स्थापित करने के लिये वेतन, भत्ता, सचिवालयी समर्थन, कार्यालय स्थल और अधिसंरचना सुविधायें और अन्य सुविधायें सम्बद्ध वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की जायेंगी और इस प्रकार अन्तर्निहित व्यय टैरिफ में स्वीकार किया जायेगा।

वर्तमान विनियम 3.12

संशोधित विनियम 3.12

परन्तु यह कि कारणों को अभिलिखित करते हुये आयोग भी फोरमों को किन्ही विशिष्ट उद्देश्यों के लिये, जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित किया जाय, वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत वित्तीय अनुदान प्रदान कर सकेगा।

वर्तमान विनियम 3.13

विज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी फोरम के गठन पर शीघ्र निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रदान करेगा–

(क) वैयक्तिक सहायक	तीन
(ख) कार्यालय सहायक	दो
(ग) चपरासी	तीन
(घ) सफाईकार/फर्राश	एक

परन्तु यदि कर्मचारियों की पूर्ण संख्या फोरम के गठन के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान नहीं की गयी है, तो अध्यक्ष वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस के 15 दिनों के बाद ऐसी अवधि के लिए, जो कि आवश्यक समझा जाय, आयोग द्वारा आदेश द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन निम्नलिखित मासिक वेतन पर संविदा पर कर्मचारियों को संलग्न कर सकेगा :

(क) वैयक्तिक सहायक	रु0 7,000.00
(ख) लिपिक	रु0 5,500.00
(ग) चपरासी	रु0 3,000.00
(घ) सफाईकार/फर्राश	रु0 2,500.00

संशोधित विनियम 3.13

विज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी फोरम के गठन पर शीघ्र निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रदान करेगा–

(क) वैयक्तिक सहायक	तीन
(ख) कार्यालय सहायक	दो
(ग) चपरासी	तीन
(घ) सफाईकार **(पार्ट टाइम)**/फर्राश **(पार्ट टाइम)**	एक

परन्तु यदि कर्मचारियों की पूर्ण संख्या फोरम के गठन के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान नहीं की गयी है, तो अध्यक्ष वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस के 15 दिनों के बाद ऐसी अवधि के लिए, जो कि आवश्यक समझा जाय, आयोग द्वारा आदेश द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन निम्नलिखित मासिक वेतन पर संविदा पर कर्मचारियों को संलग्न कर सकेगा :

(क) वैयक्तिक सहायक	रु0 13,860.00
(ख) लिपिक	रु0 10,890.00
(ग) चपरासी	रु0 7,400.00
(घ) सफाईकार **(पार्ट टाइम)**/ फर्राश **(पार्ट टाइम)**	रु0 4,950.00

वर्तमान विनियम 3.15

अध्यक्ष या तकनीकी सदस्य आयोग या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को यथास्थिति, लिखित में तीन मास की सूचना देकर अपना पद त्याग सकेंगे :

परन्तु तकनीकी सदस्य के मामले में त्याग-पत्र की प्रति तत्काल आयोग को भी भेजी जायेगी।

संशोधित विनियम 3.15

अध्यक्ष या तकनीकी सदस्य आयोग या वितरण अनुज्ञप्तिधारी को यथास्थिति, लिखित में तीन मास की सूचना देकर अपना पद त्याग सकेंगे :

परन्तु तकनीकी सदस्य के मामले में त्याग-पत्र की प्रति तत्काल आयोग को भी भेजी जायेगी।

परन्तु यह भी कि यदि किसी सदस्य द्वारा तीन मास से पहले ही पदत्याग करने हेतु प्रार्थना की जाती है तो ऐसी अनुमति देने से पहले आयोग द्वारा उस अवधि, जिसके लिये छूट देने का अनुरोध किया गया है, के लिये उस सदस्य को वेतन के रूप में प्राप्त धनराशि को वापिस जमा कराये जाने का आदेश दिया जा सकेगा।

वर्तमान विनियम 6.3

परिवाद फोरम संदेय भारतीय डाक आदेश या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या फोरम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य लिखत के माध्यम से रु0 50.00 की फीस के साथ होगा।

संशोधित विनियम 6.3

परिवाद फोरम संदेय भारतीय डाक आदेश या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चेक **या इलेक्ट्रानिक धन हस्तान्तरण** या फोरम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य लिखत के माध्यम से रु0 50.00 की फीस के साथ होगा।

वर्तमान विनियम 6.11

फोरम एक से अधिक स्थगन मंजूर नहीं करेगा, जब तक पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता और स्थगन की स्वीकृति के लिये कारण फोरम द्वारा लेखबद्ध कराये जायेंगे। ऐसे मामले में स्थगन की चाह करने वाला पक्षकार अन्य पक्षकार को मामले के स्थगन के कारण कारित कर कठिनाई के लिए प्रतिकर के रूप में रु0 100.00 की धनराशि भुगतान करेगा।

संशोधित विनियम 6.11

फोरम एक से अधिक स्थगन मंजूर नहीं करेगा, जब तक पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता और स्थगन की स्वीकृति के लिये कारण फोरम द्वारा लेखबद्ध कराये जायेंगे। ऐसे मामले में स्थगन की चाह करने वाला पक्षकार अन्य पक्षकार को मामले के स्थगन के कारण कारित कर कठिनाई के लिए प्रतिकर के रूप में रु0 200.00 की धनराशि भुगतान करेगा।

निम्नलिखित **नये विनियमों** को उनके यथोचित स्थान पर बढ़ाया जायेगा–

विनियम संख्या 3.3 (vi) एवं 3.3 (vii) को विनियम संख्या–3.3 (v) के बाद निम्नानुसार बढ़ाया जायेगा–

3.3 (vi) अध्यक्ष द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर विद्युत लोकपाल को सूचित किया जायेगा जो तदनुसार आयोग को अवगत करायेंगे।

3.3 (vii) किसी फोरम में अध्यक्ष या तकनीकी सदस्य का पद रिक्त होने की स्थिति में आयोग रिक्त पद के लिये किसी अन्यफोरम से लिंग आफीसर नियुक्त कर सकेगा जो फोरम के कार्यों का, जिसमें न्यायिक कार्य भी शामिल हैं, गुणावदोष पद निस्तारण करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगा। रिक्त न्यायिक सदस्य के पद के लिये 'लिंक आफीसर' किसी अन्य फोरम का न्यायिक सदस्य तथा रिक्त तकनीकी सदस्य के पद के लिये 'लिंक आफीसर' किसी अन्य फोरम का तकनीकी सदस्य होगा।

विनियम संख्या 5.4 को विनियम संख्या 5.3 के बाद निम्नानुसार बढ़ाया जायेगा–

5.4 फोरम ऐसे परिवादों को ग्रहण नहीं कर सकेगा जो वाद कारण के उत्पन्न होने की तिथि के तीन वर्ष के बाद प्रस्तुत किया गया है।

परन्तु फोरम कारणों को लिखित में रिकार्ड करते हुए ऐसे परिवादों को ग्रहण कर सकेगा जो उपरोक्त शर्त को पूरा नहीं करते हैं।

परन्तु यह भी कि बिना परिवादी को सुनवाई का अवसर दिये कोई भी परिवाद निरस्त नहीं किया जायेगा।

आयोग के आदेश द्वारा,
संजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग।

U.P. ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

No. UPERC/Secy/Regulation/2019/111-A

Lucknow: dated, May 09, 2019

U.P. ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM & ELECTRICITY OMBUDSMAN) REGULATIONS (FIRST AMENDMENTS), 2019

In exercise of power conferred on it by Section 181 read with sub-sections (5) to (8) of Section 42 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission had made UPERC (Consumer Grievance Redressal Forum & Electricity Ombudsman) Regulations, 2007 which were published vide notification no. UPERC/Secy/Regulation/07/1259, Lucknow dated 4th October, 2007.

And whereas, the licensees, consumers and public are facing difficulties in implementing some of the provisions thereof and have requested for certain amendments in the Regulations.

And whereas, as a result of the above and for other substantial reasons, it has become necessary to amend certain provisions of these Regulations.

Now, therefore in exercise of the powers conferred on it by Section 181 read with sub-sections (5) to (8) of Section 42 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby make the following amendments in UPERC (Consumer Grievance Redressal Forum & Electricity Ombudsman) Regulations, 2007.

1.0 Short Title, Commencment and Interpretation:

1.1. These Regulations may be called the "U.P. Electricity Regulatory Commission (Consumer Grievance Redressal Forum & Electricity Ombudsman) Regulations, (First Amendment) 2019".

1.2. These Regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh and shall apply on the Distribution Licensees engaged in the business of distribution and supply of electricity in the State.

1.3. These Regulations shall come into force from the appointed date.

1.4. These Regulations shall be read with the relevant provisions of the U.P. Electricity Reforms Act, 1999 to the extent they are not inconsistent with the provisions of the Electricity Act, 2003.

1.5. The Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the interpretation of these Regulations.

1.6. In case of conflict between English and Hindi version of these Regulations, the English version shall prevail.

2.0. Following existing clauses of UPERC (Consumer Grievance Redressal Forum & Electricity Ombudsman) Regulations, 2007 shall be substituted, as given below:

Existing Clause 3.1 (i)	**Amended Clause 3.1 (i)**
Every Distribution Licensee shall, within three months from the appointed date, establish and make operational a Forum in accodance with these regulations at following locations:	Every Distribution Licensee shall, within three months from the appointed date, establish and make operational a Forum in accodance with these regulations at following locations:
(1) Agra Discom: Kanpur, Agra, Jhansi and Chitrakoot,	(1) Agra Discom: Kanpur, Agra, Aligarh, Jhansi and Chitrakoot,
(2) Meerut Discom: Meerut, Moradabad and Saharanpur,	(2) Meerut Discom: Meerut, Moradabad and Saharanpur,

Existing Clause 3.1 (i)

(3) Lucknow discom: Lucknow, Bareilly, Faizabad and Devipatan (Gonda),

(4) Varanasi Discom: Varanasi, Allahabad, Gorakhpur, Azamgarh, Mirzapur and Basti.

(5) KESCO: Kanpur

(6) NPCL: Greater Noida:

Provided that in case of more than one Distribution Licensee in an area, the location of the Forum for each subsequent Distribution Licensee shall be the area of supply.

Amended Clause 3.1 (i)

(3) Lucknow discom: Lucknow, Bareilly, Faizabad and Devipatan (Gonda),

(4) Varanasi Discom: Varanasi, Allahabad, Gorakhpur, Azamgarh, Mirzapur and Basti.

(5) KESCO: Kanpur

(6) NPCL: Greater Noida:

Provided that in case of more than one Distribution Licensee in an area, the location of the Forum for each subsequent Distribution Licensee shall be the area of supply.

Provided further that the Commission may give direction to the licensee to change or amend the jurisdiction of any existing Forum or for constitution of a new Forum.

Existing Clause 3.2 (ii)

Judicial Member shall be a Judicial Officer who held the post not below the rank of Additional District Judge and who has attained the age of 60 years and shall hold office for a period of three years or up to age of 65 years, whichever be earlier.

Amended Clause 3.2 (ii)

Judicial Member shall be a Judicial Officer who held the post not below the rank of Additional District Judge and who has attained the age of 60 years and shall hold office for a period of three years or up to age of 65 years, whichever be earlier.

Provided that the Commission may consider him for reappointment for a second term, subject to the maximum age for occupying the post remains 65 years.

Existing Clause 3.2 (iii)(e)

Shall hold office of the forum for a period of three years or upto age of 65 years, whichever is earlier.

Amended Clause 3.2 (iii)(e)

Shall hold office of the forum for a period of three years or upto age of 65 years, whichever is earlier.

Provided that the Commission may consider him for reappointment for a second term, subject to the maximum age for occupying the post remains 65 years.

Existing Clause 3.9

The Distribution Licensee shall appoint/designate one engineer officer as full time Secretary to the Forum, who will join immediately on the date of establishment of the Forum and shall work under the control and supervision of the Chairperson.

Amended Clause 3.9

The Distribution Licensee shall appoint/designate one engineer officer as full time Secretary to the Forum, who shall work under the control and supervision of the Chairperson.

Existing Clause 3.11(i)

The Chairperson shall be entitled to a consolidated salary of Rs. 25,000 per month or such salary as may be revised by the Commission from time to time.

Amended Clause 3.11(i)

The Chairperson shall be entitled to a consolidated salary of Rs. 55,000 per month or such salary as may be revised by the Commission from time to time.

Existing Clause 3.11(ii)

The Technical Member shall be entitled to a conslidated salary of Rs. 20,000 per month or such salary as may be revised by the Commission from time to time.

Amended Clause 3.11(ii)

The Technical Member shall be entitled to a conslidated salary of Rs. 45,000 per month or such salary as may be revised by the Commission from time to time.

Existing Clause 3.12

The salary, allowances, secretarial support, office accommodation and infrastructure facilities for establishing the office and other facilities required for efficient functioning of the Forum shall be provided by the concerned Distribution Licensee and the expenditure so involved shall be allowed in the tariff.

Amended Clause 3.12

The salary, allowances, secretarial support, office accommodation and infrastructure facilities for establishing the office and other facilities required for efficient functioning of the Forum shall be provided by the concerned Distribution Licensee and the expenditure so involved shall be allowed in the tariff.

Provided that, for reasons to be recorded in writing the Commission may also provide a financial grant to Forums for some specific purposes, as directed by the Commission, in a financial year.

Existing Clause 3.13

The Distribution Licensee shall provide the following staff immediately on the establishment of the Forum;

(a) Personal Assistants	–	Three
(b) Office Assistant	–	Two
(c) Peons	–	Three
(d) Sweeper/Farrash	–	One

Amended Clause 3.13

The Distribution Licensee shall provide the following staff immediately on the establishment of the Forum;

(a) Personal Assistants	–	Three
(b) Office Assistant	–	Two
(c) Peons	–	Three
(d) Sweeper (Part time)/ Farrash (Part time)	–	One

Existing Clause 3.13

Provided that if the full strength of staff has not been provided by the licensee with the establishment of the Forum, the Chairperson may engage the staff on contract after 15 days of notice to the Distribution Licensee on the following monthly salary, for such period, as may be considered necessary.

Subject to revision by the Commission by an order:

Personal Assistant	–	Rs. 7,000
Clerk	–	Rs. 5,500
Peon	–	Rs. 3,000
Sweeper/Farrash	–	Rs. 2,500

Amended Clause 3.13

Provided that if the full strength of staff has not been provided by the licensee with the establishment of the Forum, the Chairperson may engage the staff on contract after 15 days of notice to the Distribution Licensee on the following monthly salary, for such period, as may be considered necessary.

Subject to revision by the Commission by an order:

Personal Assistant	–	Rs. 13,860
Clerk/Office Assistant	–	Rs. 10,890
Peon	–	Rs. 7,400
Sweeper (Part time)/ Farrash (Part time)	–	Rs. 4,950

Existing Clause 3.15

The Chairperson or the Technical Member may relinquish their office by giving three months notice in writing to the Commission or Distribution Licensee as the case may be:

Provided that, in the case of Technical Member, the copy of the resignation shall also be sent to the Commission forthwith.

Amended Clause 3.15

The Chairperson or the Technical Member may relinquish their office by giving three months notice in writing to the Commission or Distribution Licensee as the case may be:

Provided that, in the case of Technical Member, the copy of the resignation shall also be sent to the Commission forthwith.

Provided further that if a Member requests to relinquish his office before three months, then the Commission, before allowing for the same, may order him to deposit back the amount of salary, which has been received by him for a period which is equal to the period for which relaxation is sought by him.

Existing Clause 6.3

Complaint shall be accompanied by fees of Rs. 50.00 through Indian postal order or demand draft or banker's cheque payable or any other instrument specified by the Forum.

Amended Clause 6.3

Complaint shall be accompanied by fees of Rs. 50.00 through Indian postal order or demand draft or banker's cheque payable or through Electronic Fund Transfer to Forum or any other instrument specified by the Forum.

Existing Clause 6.11	Amended Clause 6.11
The Forum shall not grant more than one adjournment unless sufficient cause is shown and the reasons for grant of adjournment shall be recorded in writing by the Forum. In such case, the party seeking adjournment shall pay other party a sum Rs. 100.00 as compensation for the hardship caused due to adjournment of the case.	The Forum shall not grant more than one adjournment unless sufficient cause is shown and the reasons for grant of adjournment shall be recorded in writing by the Forum. In such case, the party seeking adjournment shall pay other party a sum Rs. 200.00 as compensation for the hardship caused due to adjournment of the case.

The following new clauses are added at their appropriate places–

Clauses 3.3 (vi) and 3.3 (vii) are added after clause 3.3(v), as given below–

3.3 (vi) The Chairperson, after assuming the charge, shall inform the Electricity Ombudsman, who shall apprise the Commission accordingly.

3.3(vii) In case of vacancy of the post of Chairperson or Technical Member in a Forum, the Commission may appoint link officer for the vacant post from any other Forum, who shall be fully competent to dispose of the matters of the Forum, including judicial matters, on merit. The 'link officer' for a vacant Judicial Member will be Judicial member of some other Forum and 'link officer' for a Technical Member will be a Technical Member of any other Forum.

New clause 5.4 is added after clause 5.3 as given below–

Clause 5.4–The forum may not entertain a complaint in cases where the complaint has been submitted three years after the date on which the cause of action has arisen.

Provided that the Forum may, for reasons to be recorded in writing, entertain a complaint which does not meet the afforesaid requirement.

Provided further that no complaint shall be rejected unless the complainant has been given an opportunity of being heard.

Date: 09-05-2019

By the order of the Commission,
SANJAY KUMAR SINGH,
Secretary,
U.P. Electricity Regulatory Commission.

पी0एस0यू0पी0 4 असाधारण गजट–27-05-2019–1150 प्रतियां–(डी0टी0पी0/आफसेट।